

पत्रावली पेश डूरी। वकील गार्थी 3प.।  
सन्तजार लामील पत्रावली दिनांक 20/12/21 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

20/12/21

पत्रावली पेश डूरी। वकील गार्थी  
3प.। मूल कागजातुदा पत्रावली दिनांक  
31/12/22 से पेश हो। 10' अखेर कसबा  
पर है।

3/2/22

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने  
आज कार्य स्थगित रखा। पत्रावली  
पूर्व आदेशानुसार दिनांक 25/3/22 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

25/3/22

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने  
आज कार्य स्थगित रखा। पत्रावली  
पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11/5/22 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

11/5/22

पत्रावली पेश डूरी। वकील गार्थी 3प.।  
सन्तजार लामील पत्रावली दिनांक 4/7/22 को  
पेश हो।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

4/7/22

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित।  
पी.ओ. महो. अन्य कार्य में व्यस्त/ दौरे पर/  
अवकाश पर/ है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार  
दिनांक 15/7/22 को पेश है।

Abhi

15/7/22

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित।  
पी.ओ. महो. अन्य कार्य में व्यस्त/ दौरे पर/  
अवकाश पर/ है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार  
दिनांक 7/9/22 को पेश है।

Abhi

11/9/22

पत्रावली गार्थी लालसिंह के  
भावेदन पत्र बाबर मिसल टलबी च  
आज पेशी से शर्ब पेश डूरी। गार्थी  
एवं वकील गार्थी 3प.। मूल राद में  
पक्षधारण के मध्य राजीनामा होने के

लोक न्यायालय की भाषणात  
जुमना पत्रावली गार्थी-वकील  
पेश है।

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर

सहायक डलेक्टर (मु.) सीकर

लालसिंह

बनाम तेजप्रताप सिंह भादि

नं. 7.2.

53/2021

कारण मूल वाद नोर प्रेस में खारिज  
डिया जा चुका है. इसलिए इस आवेदन  
अंतर्गत धारा 212 RTACT को भागे  
पलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।  
अतः शर्ही एवं वडीत शर्ही के अनुरोध  
पर आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 212  
RTACT नोर प्रेस में खारिज डिया  
जाता है। पत्रावली केसत शुमा होका  
बाद डारिवादी हाखित क्षप्तर हो।

सहायक कलेक्टर (मु.) सीकर

निर्णय भाज दिनांक 11/9/22  
को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (मु.) सीकर